66

संख्याः 3035/XVIII(II)/2012–01(35)/2011

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 6 दिसम्बर, 2012

विषयः–जीन कैम्पेन संस्था द्वारा नेचुरल रिर्सोस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु ग्राम दाड़िमा, पट्टी सतबुंगा, परगना रामगढ़, जिला नैनीताल में 0.727 है0 भूमि कय की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–239–1/2012 ज्येड0ए0सी0/2012 दि0–4.4.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जीन कैम्पेन संस्था, नई दिल्ली द्वारा नेचुरल रिर्सोस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु ग्राम दाड़िमा, पट्टी सतबुंगा, परगना रामगढ़, जिला नैनीताल में 0.727 है0 भूमि कय की अनुमति, कृषि विभाग की अनापत्ति एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, की धारा–154(4)(3)(क)(III)–कृषि शिक्षा के अन्तर्गत, आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (नेचुरल रिर्सोस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकांस प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– जिलाधिकारी के स्तर से आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व संस्था से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि संबंधित प्रयोजन के लिए कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली जाएगी और शोध का कोई भी विवरण विदेशी व्यक्ति/संस्था को नहीं दिया जाएगा।

10– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

11– यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं/भार से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्रय विक्रय से किसी भूमि संबंधित कानून/विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0-3035(1) समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– डॉ0 सुमन सहाय, अध्यक्षा, जीन कैम्पेन, जे–235/ए, लेन–डब्ल्यु–15 सी, सैनिक फार्म, खानपुर, नई दिल्ली–110062
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1260GO